अनुक्रम– छतरपाल बनाम सरकार
प्रार्थना पत्र संख्या–03/76/2025

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ़(अलवर)

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :–03/76/2025 ऑन लाईन नम्बर–2025/370 प्रवेश तिथि–09.09.2025

1. छतरपाल सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम धिरहाड़ा तहसील बावल जिला रेवाड़ी हरियाणा।

.........प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार टहला

.........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी 1955
अन्तर्गत धारा 251–'क'
उपस्थित– श्री धर्मेन्द्र सिंह जैसावत एड0–प्रार्थी

–:निर्णय:–

दिनांक 19/01/2026

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की हाल आराजी खसरा संख्या 311/1.30 है0 वाके ग्राम रुपबास तहसील टहला जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी आराजी पर आमद–रफत करने हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नही है। अब तक प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी के लगते हुए आम रास्ता चॉदा का बास रोड से तरफ पूर्व सिवायचक भूमि हाल आराजी खसरा संख्या 276, 304, 306, 310, 310/455 वाके ग्राम रुपबास तहसील टहला में होकर अपनी आराजीयात में होकर आता जाता रहा है। प्रार्थी की खातेदारी की आराजी में रास्ता नही होने के कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी का सही तरीके से उपयोग उपभोग नही कर पा रहा है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर हाल सिवायचक आराजी खसरा संख्या 276, 304, 306, 310, 310/455 वाके ग्राम रुपबास तहसील टहला के तरफ पूर्व से होता हुआ से होता हुआ होकर 30 फुट चौडा रास्ता दिये जाने का निवेदन किया है। उक्त रास्ते से ही अपने हल–बैल, ट्रेक्टर कृषि उपकरण आदि लाता ले जाता है। अन्य कोई रास्ता मौजुद नही है। अन्त में वकील प्रार्थी ने हाल सिवायचक आराजी खसरा संख्या 276, 304, 306, 310, 310/455 वाके ग्राम रुपबास तहसील टहला के तरफ पूर्व से होता हुआ से होता हुआ 30 फुट चौडा रास्ता रिकार्ड में दर्ज करने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये। हाजा न्यायालय के पत्रांक/क्रमांक/कोर्ट/आर.ए./251–क/2025/250 दिनांक 09.09.2025 से तहसीलदार टहला को राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 के अनुसार मौका जॉच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी गई।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

[illegible]

[illegible] के [illegible] के द्वारा अपने पत्र क्रमांक भू.अ./[illegible] दिनांक [illegible] मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। [illegible] के [illegible] दिनांक [illegible] के [illegible] में एक अन्य रिपोर्ट [illegible] के पत्रांक क्रमांक भू.अ./[illegible] दिनांक [illegible] को प्रेषित की गई जो [illegible] है।

3. प्रार्थी ने दौराने-ए-[illegible] प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया [illegible] एवं प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 311/1.30 है० वाके ग्राम रूपबास तहसील टहला तक पहुंचने हेतु सिवायचक आराजी खसरा संख्या 276, 304, 306, 310, 310/455 वाके ग्राम रूपबास तहसील टहला के तरफ पूर्व ढोल में होकर 30 फुट चौड़ा नवीन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का निवेदन किया।

4. दौरान-ए-बहस विद्वान तहसीलदार टहला ने अपनी रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 311/1.30 है० वाके ग्राम रूपबास तहसील टहला तक पहुचने हेतु सिवायचक आराजी खसरा संख्या 276, 307, 306, 310, 310/455, 274 वाके ग्राम रूपबास तहसील टहला के तरफ पूर्व ढोल में होकर 30 फुट चौड़ा नवीन रास्ता राजस्व रिकार्ड में चाहा गया है। जबकि चाहे गये रास्त की भूमि राजकीय सिवायचक भूमि है। जबकि आराजी खसरासंख्या 310/455 वाके ग्राम रूपबास तहसील टहला जिला अलवर राधेश्याम, शिम्भूदयाल पुत्रान बिरदीचन्द जाति ब्राहम्ण के नाम दर्ज रिकार्ड है।

5. प्रकरण में प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी तहसीलदार राजगढ की मौका-रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व धारा 251-'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है-

> *धारा 251-क- अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना-(1) जहाँ*
> *(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या*
> *(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है, या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है-*
> *और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे, और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि-*
> *(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और*
> *(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ नये मार्ग के मामले में, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है-*
> *तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह स कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये , भूमि में से होकर, और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुत्तम या निकटतम रूठ से एक नया मार्ग जो 30 फिट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें*

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ
जिला-अलवर

से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रिति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(1) जहां–उपधारा (1) के अधिन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ठ करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ठ सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

6. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है–

68. Application under Sec. 251-A. *- An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.*

69. Enquiry and disposal of application. *- On receipt of an application in Form 1, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or*

get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation. *- (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-*

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee | constituted under clause (b) of sub-rule (D of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee ; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure,] the amount of actual loss or damages shall also be determined.

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़
जिला–अलवर

7. उक्त धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 69 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आगमन–रास्ता हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से सीमित रास्ता निर्धारित स्वीकृत करवा सकता है। इस हेतु उक्त धारा 251–क तीन पूर्वशर्तों को आरोपित करती है जो है–

1 खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।

2 खातेदार की रास्ते बाबत् अन्य विकल्प की अनुपस्थिति।

3 खातेदार जिस रास्ते की मांग कर रहा है, वह मार्ग निकटतम दूरी का होना अतिआवश्यक।

8. मैने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व वकील प्रार्थी की बहस का अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली के आवलोकन पर पाया गया कि प्रार्थी के द्वारा आराजी खसरा संख्या 276, 304, 306, 310, 310/455 में होकर रास्ता चाहा गया है। और उक्त खसरा नम्बरो को प्रार्थी ने सिवायचक बता कर रास्ते की मांग की गई है। जबकि आराजी खसरा संख्या 304 वाके ग्राम रूपबास तहसील टहला छोटी पुत्री सोना वगै0 लालाराम पुत्र पन्ना वगै0 के नाम दर्ज रिकार्ड है। व आराजी खसरा संख्या 310/455 वाके ग्राम रूपबास राधेश्याम, शिम्भूदयाल पुत्रान विरदीचन्द जाति ब्राहम्ण के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के द्वारा चाहे गये रास्ते से किसी भी चालू रास्ते से जुडता हुआ नही है। क्योंकि चावा का बास की सडक के लगते हुए खसरा संख्या 274 वाके ग्राम रूपबास में से प्रार्थी के द्वारा रास्ता नही चाहा गया है। तहसीलदार टहला की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को रास्ता आराजी खसरा संख्या 310/455 राधेश्याम, शिम्भूदयाल पुत्रान विरदीचन्द की खातेदारी व आराजी खसरा संख्या 310, 307, 306, 276, 274 सिवायचक राजकी भूमि में होकर रास्ते का प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। जिसमें आराजी खसरा संख्या 274 किस्म गै0म0 राडा व आराजी खसरा संख्या 307 किस्म गै0मु0 पहाड दर्ज रिकार्ड है। **उक्त आराजी प्रतिबन्धित भूमि की किस्म** 07.05.1992 के **अन्तर्गत अरावली नोटिफिकेशन के अन्तर्गत आती है। जो प्रतिबन्धित श्रेणी की किस्म है।** इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारीज किये जाने योग्य है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

यह आदेश आज दिनांक 19/01/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर